

मंत्री के बेटे को सरकारी अधिवक्ता बनाए जाने पर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा

विधानसभा में हंगामा करने पर अध्यक्ष ने विधायक को निलंबित किया, कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस के एक विधायक को निलंबित कर दिया गया। इस दौरान विधायक को बाहर निकालने के लिए मार्शल बुलाए गए तो कांग्रेस विधायक आड़े आ गए। इस दौरान धक्का मुक्की हुई। बाद में सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन कांग्रेस विधायक सदन में ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए।

विधानसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। करीब एक घंटे बाधित रहने के बाद विधानसभा की कार्यवाही 4 बजे फिर से शुरू हुई तो निलंबित विधायक मुकेश भाकर को सदन से बाहर निकालने के लिए सभापति संदीप शर्मा ने मार्शल बुला लिए। मार्शल भाकर को सदन से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े तो कांग्रेस के विधायक मार्शल से उलझ गए। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा धक्का-मुक्की के कारण नीचे गिर गए। हालांकि, सभापति संदीप शर्मा ने इस बीच सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली के नेतृत्व में विपक्ष के सदस्य सदन में धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि मुकेश भाकर का निलंबन बहाल किया जाए और मंत्री के बेटे को

■ हंगामा हुआ तो अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुकेश भाकर के निलंबन का प्रस्ताव लाने को कहा

■ मुख्य सचेतक गर्ग लाए निलंबन प्रस्ताव, मार्शलों के जरिए विधायक को निकालने की कोशिश, तो विधायक और मार्शलों में हुई धक्का-मुक्की

सरकारी अधिवक्ता बनाए जाने के मामले में सरकार सदन में जवाब दे। हंगामा उस समय शुरू हुआ, जब भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। उस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने एक मंत्री के बेटे को सरकारी अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति का मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब दिलवाने की मांग की। इस पर हंगामा हुआ तो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सत्ता पक्ष से विधायक के निलंबन का प्रस्ताव लाने को कहा। इस पर सत्ता पक्ष के मुख्य सचिव तक जोतिष्वर गर्ग ने मुकेश भाकर के निलंबन का प्रस्ताव रखा, जिसे पारित कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को बजट सत्र की शेष बैठकों के लिए निलंबित कर दिया गया। इस पर हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के चलते दो बार सदन की कार्यवाही एक घंटे तक बाधित रही। जब वापस कार्यवाही शुरू हुई तो मुकेश भाकर को सदन से बाहर निकालने के

लिए आसन पर मौजूद सभापति संदीप शर्मा ने मार्शल बुला लिए। लेकिन कांग्रेस विधायक मार्शलों से भिड़ गए। इस दौरान धक्का मुक्ति में वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा गिर गए। वहीं एक महिला विधायक की चूड़ी भी टूट गई। इस घटना के बाद सभापति संदीप शर्मा ने सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद मार्शल संजय चौधरी खुद पहुंचे और अपने प्रतिनिधियों को हटाया। मार्शल बुलाए जाने से नाराज कांग्रेस विधायक सदन में ही धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली का कहना है कि मुकेश भाकर का निलंबन खत्म होने और मंत्री के बेटे को सरकारी अधिवक्ता बनाए जाने पर सरकार के जवाब की व्यवस्था तक सदन में उनका धरना जारी रहेगा।

सदन में धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज सरकार के

सामने संवैधानिक संकट है। सरकार ने पीपी और एपीपी की नियुक्ति सीआरपीसी के तहत की है और भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद यह नियुक्तियां शुरू हो जाती हैं। हमने आसन से यह मांग की थी कि इस पर सरकार का जवाब आ जाना चाहिए। सरकार इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग उन्हें उकसाते हैं, जिससे गतिरोध हो जाता है। उन्होंने कहा कि मुकेश भाकर का निलंबन निन्दनीय है। हम सदन में धरना देंगे, जो रात को भी जारी रहेगा।

इधर सरकार का पक्ष रखते हुए विधि एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बिना नियमों में आए उन्होंने विषय उठाने का प्रयास किया है। सरकारी अधिवक्ता नियुक्त करने की प्रक्रिया पुराने कानून में शुरू हो चुकी थी और कई जगह प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है। इस बात को अनावश्यक रूप से मुद्दा बनाकर सदन में व्यवधान किया है। एक सदस्य ने आक्रामक रूप से आसन की ओर बढ़ने का प्रयास किया, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया। मंत्री के बेटे को नियुक्ति के सवाल पर उन्होंने कहा कि लिखित जो दिया गया है। उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। वह नियुक्ति एक प्रक्रिया के तहत आज से सात महीने पहले हुई थी। आज उसका कोई मुद्दा ही नहीं है।

डमी अभ्यर्थी बैठाने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2022 में स्वयं के स्थान पर डमी अभ्यर्थी बैठाने वाले मुख्य आरोपित को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

एटीएस और एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2022 में स्वयं के स्थान पर डमी अभ्यर्थी बैठाने वाले मुख्य आरोपित रमेश कुमार राणा (37) निवासी रानीवाड़ा जिला जालौर को गिरफ्तार किया है। अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपित रमेश कुमार राणा द्वारा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा-2022 में स्वयं द्वारा आवेदन पत्र जारी किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा रमेश कुमार राणा के नाम से जारी प्रवेश पत्र को आरोपित द्वारा कांटे-छांट कर प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य ज्ञान एवं हिन्दी की परीक्षा के लिए स्वयं के स्थान पर डमी अभ्यर्थी के रूप में सुरेश कुमार गोदारा एवं दिनेश कुमार को बैठाया। एसओजी की पूछताछ में और भी कई वारदातें खुलने की आशंका जताई जा रही है।

70 प्रतिभाएं सम्मानित

जयपुर। राष्ट्रीय सामाजिक गौरव सम्मान पुरस्कार समारोह-2024 में गणमान्यों ने हिस्सा लिया और प्रोत्साहित किया। इस मौके पर न्याय के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली 70 प्रतिभाओं को सम्मानित किया तो वे रोमांचित हो उठे।

अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को पांच बार नियमों के तहत विषय उठाने को कहा

'प्रतिपक्ष की हठधर्मिता, प्रतिपक्ष विधायक का गरिमापूर्ण आसन की ओर अभद्र व्यवहार शर्मनाक व निन्दनीय'

■ 'प्रतिपक्ष को ऐसे सदस्य का बचाव करना, अलोकतांत्रिक और विकास विरोधी सोच का घोटक'

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधान सभा में नियमों और परम्पराओं के विपरीत प्रतिपक्ष के हठधर्मिता वाले व्यवहार को बेहद दुःखद बताया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा जैसे पवित्र व गरिमापूर्ण सदन में किसी सदस्य के द्वारा आसन की ओर अभद्र इशारों का प्रदर्शन शर्मनाक है। प्रतिपक्ष द्वारा ऐसे सदस्य का पक्ष लेना बेहद निन्दनीय है और ऐसे सदस्य का बचाव किया जाना भी अशोभनीय है। देवनानी ने कहा कि आसन द्वारा सदस्य का निलंबन किये जाने का कदम सदन की गरिमा की रक्षार्थ उठाया गया। प्रतिपक्ष ने लगातार आसन के निर्देशों की अवहेलना की है। प्रतिपक्ष के सदस्य का सोमवार को सदन में व्यवहार और प्रतिपक्ष द्वारा ऐसे सदस्य का बचाव संसदीय परम्पराओं की अवहेलना की पराकाष्ठा है।

सदन में अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा उदार रुख दिखाते हुए आसन से पाँच बार प्रतिपक्ष नेता को नियमों के तहत विषय उठाने के लिए कहा गया। इसके बावजूद भी विधानसभा में प्रतिपक्ष का हठधर्मिता का प्रदर्शन करते हुए वेल में आना, सदन की गरिमा में अनुकूल नहीं है। उल्लेखनीय है कि सदन में प्रतिपक्ष नेता द्वारा उठाया गया विषय न्यायालय में विचारार्थ है। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 294 के तहत यह व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं था। विधान सभा सदन में किसी विषय को उठाने से पूर्व राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत लिखित में विधान सभा के प्रमुख सचिव को

सूचना दिये जाने के तत्पश्चात ही कोई विषय सदन में उठाया जा सकता है। सदन में चल रहे गतिरोध के दौरान ही विधायक मुकेश भाकर द्वारा आसन के प्रति अशोभनीय व्यवहार और हाथों के इशारों से अमर्यादित प्रदर्शन किया गया, जो विधानसभा में सन 1952 से लेकर अब तक के इतिहास में ऐसे किसी व्यवहार की नजिर नहीं है और प्रतिपक्ष नेता का भी वेल में आने की परम्परा नहीं रही है। इसकी प्रतिपक्ष नेता व प्रतिपक्ष विधायकों को घोर निन्दा करनी चाहिए, ताकि विधान सभा सदन की गरिमा और पवित्रता कायम रखी जा सके। विधान सभा के सभी सदस्यों का सदन की पवित्रता व गरिमा को बनाये रखने का महत्वपूर्ण दायित्व होता है।

उल्लेखनीय है कि प्रतिपक्ष द्वारा सदन में नियमों व आसन के निर्देशों की अवहेलना करके सदन संचालन में व्यवधान डालना और अपमानजनक भाषा के प्रयोग किये जाने के मामलेगत दिनों में अनेक बार हुए हैं, जो आसन द्वारा सदन की समृद्ध परम्पराओं के अनुरूप स्वीकार योग्य नहीं है। पूर्व में भी प्रतिपक्ष नेता द्वारा आसन को धृतराष्ट्र कहना, विधायक शांति धारियाल द्वारा सदन में सभापति को धमकाया जाना और अपशब्द के उपयोग किये जाने के साथ प्रतिपक्ष द्वारा लगातार नियमों की अवहेलना उनका लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और संसदीय परम्पराओं में आस्था नहीं होना प्रदर्शित करता है।

'नीमच-बड़ीसादड़ी रेल लाइन से प्रभावित 18 जमीनों का भू-रूपांतरण कर बढ़ा दिया 20 करोड़ रु. का मुआवजा'

मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज के.पवन. पर अधिग्रहित जमीनों का मुआवजा तय करने की आड़ में करोड़ों का घोटाला करने और राजकोष को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया

—कार्यालय संवाददाता—
जयपुर। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त पर 'नीमच-बड़ीसादड़ी नई रेल लाइन से प्रभावित 18 जमीनों (जिनका भू-रूपांतरण रेल मंत्रालय की अधिसूचना के बाद में हुआ) का मुआवजा 20 करोड़ रु. बढ़ाने का आरोप लगाया है। मंत्री किरोड़ीलाल का कहना है कि रेलवे को जो अधिग्रहित भूमि 2 करोड़ में प्राप्त हो सकती थी, अब उस जमीन के बदले 22 करोड़ रु. से ज्यादा की रकम चुकानी पड़ेगी।

किरोड़ीलाल मीणा ने राज्य सरकार को शिकायतों पर लिखकर, बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज के.पवन पर जमीनों के मुआवजे की आड़ में करोड़ों रुपय का घोटाला करने और राजकोष को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए तुरंत फील्ड पोस्टिंग से हटाने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ का घोटाला तो हो चुका है, अभी करीब 125 और मामलों में नीरज के.पवन. मुआवजा इसी प्रकार निर्धारित करने पर तुले हुए हैं, जिससे रेलवे शासन को करीब 130 करोड़ का चूना लगेगा।

किरोड़ीलाल ने कहा है कि नीरज के.पवन का नाम पहले ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन घोटाला, नर्सिंग कॉलेज घोटाला और नगर निगम बी.वी.जी. कंपनी घोटाले में सामने आ चुका है। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने भी संकुलित जारी कर रखा है कि, जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लंबित हों, उन्हें फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए।

मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि मध्यप्रदेश के नीमच और राजस्थान

में छोटी-बड़ी सादड़ी क्षेत्र को नई रेल लाइन से जोड़ने के लिए रेल मंत्रालय ने 12 अगस्त 2022 को अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद जिन-जिन जमीनों में से होकर रेलवे लाइन गुजरती, उनका आनन-फानन में कृषि से आवासीय भू-रूपांतरण करने का खेद शुरू हुआ। अक्टूबर-2022 में अधिकांश लोगों ने एक साथ अपनी जमीनों को कृषि से आवासीय में रूपांतरित करवा लिया, जिनमें यह 18 लोग भी शामिल थे। जबकि नियमानुसार, जमीन अर्वापित की अधिसूचना जारी होने के बाद भूमि किस में बदलाव नहीं किया जा सकता।

उन्होंने बताया कि रेलवे मंत्रालय ने 12 अगस्त को अधिसूचना जारी करते हुए "नीमच-बड़ीसादड़ी नई रेल लाइन परियोजना" के लिए नीमच के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ उपखंड अधिकारी के सक्षम प्राधिकारी घोषित किया था। इस रेलवे लाइन की घोषणा के बाद पूरे क्षेत्र में व्यापक स्तर पर रेलवे विभाग व स्थानीय प्रशासन ने सर्वे किया। इसी दौरान प्रकरण संख्या 14/2024 जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/2016 मेघराज बनाम भारत सरकार में उपखंड अधिकारी प्रतापगढ़ ने मुआवजा राशि 12 लाख 46 हजार 994 रुपय तय की थी। किरोड़ीलाल ने बताया कि "रेलवे अधिनियम-1989 की धारा 20(च)(6) के तहत किसी भी भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो वह मध्यस्थ के समक्ष आवेदन कर सकता है। चूंकि बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज के.पवन इन मामलों की मध्यस्थता

■ किरोड़ीलाल मीणा ने राज्य सरकार को शिकायती पत्र लिखकर, नीरज के.पवन को तुरंत फील्ड पोस्टिंग से हटाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ का घोटाला तो हो चुका है, अभी करीब 125 और मामलों में नीरज के.पवन. मुआवजा इसी प्रकार निर्धारित करने पर तुले हुए हैं, जिससे रेलवे प्रशासन को करीब 130 करोड़ का चूना लगेगा।

कर रहे थे। उनके समक्ष जब यह प्रकरण पहुंचा तो उन्होंने कृषि भूमि से आवासीय कन्वर्जन को सही ठहराते हुए मुआवजा राशि 12.46 लाख रुपय से बढ़ाकर 1 करोड़ 45 लाख 64 हजार 477 रुपय तय कर दी। इससे सिर्फ एक मामले में ही रेलवे विभाग को 1.33 करोड़ रु. का नुकसान हुआ।

इसके बाद गत 20 जून 2024 को प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड अधिकारी व भूमि अर्वापित के सक्षम प्राधिकारी प्रवीण कुमार मीणा ने उत्तर-पश्चिम रेलवे उदयपुर के उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण-4) को पत्र लिखकर इस प्रकरण में खतेदार को देने के लिए 1.33 करोड़ रु. की मुआवजा राशि और मांगी है।

किरोड़ीलाल ने संभागीय आयुक्त नीरज के.पवन. द्वारा 18 जमीनों के प्रकरणों में बढ़ाई गई 20 करोड़ रु. की मुआवजा राशि की सूची जारी करते हुए सभी प्रकरणों की जानकारी भी साझा की है। जिसमें उन्होंने खतेदारों के नाम, केस नंबर, खसरा नंबर, जमीन अर्वापित का परिचा, भूमि रूपांतरण की तारीख बताई है। इसके साथ ही कृषि भूमि के हिसाब से दिये जाने वाले करीब 2 करोड़ की

हेमराज निवासी केसुंदा के खसरा नंबर 2916/1109, टीना पुत्री विपुल कुमार निवासी केसुंदा खसरा नंबर 2918/1910, जगदीश चंद्र पिता मोहनलाल निवासी खेड़ाकेसुंदा खसरा नंबर 102, दशरथ, राजेश पिता मेघराज निवासी केसुंदा खसरा नंबर 2912/1495, अभिषेक पिता बाबूलाल निवासी धामनिया रोड खसरा नंबर 517/34, कानाबाई पुत्री कारूलाल निवासी केसुंदा खसरा नंबर 1066, धांपु पुत्री भेरू पारम पिता भेरू निवासी राजपुर खसरा नंबर 304/104, रामचंद्र पिता बजेराम निवासी चान्दोसी खसरा नंबर 1514/300, नानाराम पिता गवरीलाल निवासी चान्दोसी खसरा नंबर 1520/358, सीताराम पिता पर्वी

निवासी हेमरेपुरा उर्फ दूधतलाई खसरा नंबर 807/103, टीना पुत्री विपुल कुमार निवासी केसुंदा, गंगाबाई पुत्री भेराजी निवासी जलोदा जागीर खसरा नंबर 2475/2011, चेना पिता बाबूलाल निवासी धमनिया रोड खसरा नंबर 518/34, आशाबाई पुत्री बाबूलाल निवासी धमनिया रोड खसरा नंबर 519/34, रामलाल पिता मोती निवासी हेमरेपुरा उर्फ दूधतलाई खसरा नंबर 805/95, प्रकाश चंद्र पिता कानीराम निवासी जालोदा जागीर खसरा नंबर 2477/1982, सुमित्राबाई पुत्री गोपाललाल निवासी राजपुर खसरा नंबर 310/309, ईश्वरनाथ पिता गोपीनाथ निवासी चान्दोसी खसरा नंबर 1516/708।



राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। राज्यपाल ने उनसे राजस्थान के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल की उनसे यह शिष्टाचार भेंट थी।

हरियालो राजस्थान के लिए बनाए 17 ब्रांड एंबेसडर

जयपुर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर हरियाली तीज पर हरियालो राजस्थान अभियान को लेकर पिछले लगभग 3 महीने से लगातार प्रवेश का दौर कर अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। दिलावर प्रवेश के 17 से अधिक जिलों का दौरा कर 200 से अधिक बैठके ले चुके हैं। अभियान को लेकर मंत्री ने 17 ब्रांड एंबेसडर भी नियुक्त किए हैं जो निरंतर इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। नियुक्त किए गए सभी ब्रांड एंबेसडर पर्यवरण के लिए काम करने वाली प्रमुख हस्तियां हैं।

हिम्मता राम भांभू नागीर जिले से है। पचशी प्राप्त भांभू ने 7 अगस्त को एक ही दिन में 11 हजार पौधे लगाने और उनको सुरक्षित रखने का संकल्प लिया है। अजीत सिंह शेखावत पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सीकर जिले की लक्ष्मणावत तहसील के छिछलास ग्राम निवासी शेखावत ने स्वयं के निजी खर्चे पर 51000 पौधे पूरे राजस्थान में नंगे पैर रहकर लगाए हैं। साथ ही 6 छोटे-छोटे ऑक्सिजन पार्क भी विकसित किए हैं। धर्मपाल डोंगीवाल पेशे से शिक्षक हैं। नागौर निवासी डोंगीवाल अब तक 5 हजार पौधे लगा चुके हैं।

जालौर के शंकर लाल राजपुरहित ने 11000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है।जालौर की जस्ट लाइव यू फाउंडेशन ने भी 11000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। जोधपुर के निर्मल गहलोत बड़े समाजसेवी हैं। वह कोचिंग संचालक हैं। गहलोत ने राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के 11000 पौधे उपलब्ध करवाने तथा उनका कलम

करने का संकल्प लिया है। जयपुर के सुभाष गोयल जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं। इन्होंने 10000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। उमेश भंडारी, प्रेसिडेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जयपुर। इन्होंने 11000 पौधे लगाने और उनको सुरक्षित रखने का संकल्प किया है। जयपुर के सुनील अग्रवाल ने 11000 से ज्यादा पौधे लगा दिए हैं तथा हर महीने औसतन 3 से 4 लाख रुपय वृक्षारोपण हेतु खर्च करते हैं। मानस गोस्वामी गोविंद देव जी मंदि, जयपुर। गोस्वामी ने 21000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। राम अवतार मीणा, सर्वाई माधोपुर निवासी मीना ने 11000 पौधे लगाने और उनको सुरक्षित रखने का संकल्प लिया है। सीकर निवासी महंत दिनेश गिरि महाराज, पीठाधीश्वर बुद्ध गिरी मठ, फतेहपुर, सीकर ने 21000 पौधे लगाने और उनको सुरक्षित रखते हुए वृक्ष बनाने का संकल्प लिया है। श्याम सुंदर पालीवाल, निवासी राजसमंदा पचशी पुरस्कार प्राप्त हस्तौ हैं। इन्होंने 11000 पौधे लगाने और उनको वृक्ष बनाने का संकल्प लिया है। निलेश जगेटिया, रेलमगरा, राजसमंद निवासी जोगिटिया 15000 पौधे लगाएंगे। दिलीप सुराणा, प्रसिद्ध उद्योगपति सुराणा जी माइक्रोलैस लिमिटेड ग्राम बाल राय जिला पाली के सीएमडी हैं। इन्होंने 20000 पौधे लगाने और उनको सुरक्षित रखने का संकल्प लिया है। विजय सिंह राठौड़ हनुमानगढ़ जिला परिषद के सदस्य हैं। राठौर 11000 पौधे लगाएंगे तथा रामेश्वर मित्तल वारां जिले के शाहाबाद के रहने वाले हैं।

शिक्षिका ने छात्रा को चोटी पकड़कर जमीन पर पटक

जयपुर। राजधानी के बनीपार्क स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में 10 साल की मासूम छात्रा को टीचर ने चोटी पकड़ कर बेंच से नीचे पटक दिया। इससे बच्ची के हाथ में भी मोच आ गई। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज अब सोशल मीडिया पर

जमकर वायरल हो रहा है। वहीं, इस मामले पर अब शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश देते हुए दोषी शिक्षिका पर कार्रवाई की बात कही है। एक तरफ शिक्षा महकमा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता लाने के प्रयास में जुटा है।

दौसा में हुई सड़क दुर्घटना पर राज्यपाल की शोक संवेदना

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने दौसा में हुए भीषण हादसे में नायब तहसीलदार सहित तीन कार्मिकों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की आत्मा की शांति और शोक संतप परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। उन्होंने हादसे में घायल तीन कार्मिकों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की।

हॉस्टल छात्रा से छेड़छाड़

जयपुर। सांगानेर इलाके में एक हॉस्टल छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि पिछले काफी समय से आरोपित उसका पीछा कर बीच रास्ते में पकड़ कर छेड़छाड़ कर रहा है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

'श्री शुभम लॉजिस्टिक व भंडारण निगम के अनुबंध की जांच करें ए.सी.बी.'

मंत्री किरोड़ीलाल की शिकायत के बाद भंडारण निगम ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को जांच के लिए पत्र लिखा

जयपुर (का.सं.)। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की शिकायत पर राजस्थान राज्य भंडारण निगम ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) को पत्र लिखकर कहा है कि, 'श्री शुभम लॉजिस्टिक के साथ कृषि उपज को भंडारण निगम व प्राइवेट गोदामों में सुरक्षित रखने के लिए किए गए अनुबंध' के प्रकरण में भारी अनियमितताओं के आरोपों की जांच की जाए।

गौरतलब है कि मंत्री किरोड़ीलाल ने 16 मई को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत दी थी कि जून-2020 में भंडारण निगम ने गोदाम निर्माण, गोदामों को पी.पी.पी. मोड पर देने और उनका प्रबंधन करने के लिए श्री शुभम लॉजिस्टिक और ऑरिगो कंपनी को टेंडर दिया था, लेकिन इन फर्मों ने शर्तों का उल्लंघन करते हुए गोदामों में रखी 3000 करोड़ की बाजार मूल्य वाली कृषि उपज का बीमा नहीं करवाया। इसके अलावा तयशुदा बैंक गारंटी की राशि भी विभाग में जमा नहीं करवायी। इस किरोड़ीलाल मीणा ने 21 जनवरी 2024 की सी.ए.जी. रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस घोटाले की जांच करवाने, टेंडर निरस्त करने और दोषी बड़े अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग उठाई थी।

गौरतलब है कि भंडारण निगम ने गत 19 जून को कृषि-उद्यमिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखा था कि "मंत्री किरोड़ीलाल के गंभीर आरोपों के बाद 14 जून को बोर्ड मीटिंग में श्री शुभम लॉजिस्टिक द्वारा की गई अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया था। साथ ही दो वरिष्ठ अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने का भी फैसला लिया था। बोर्ड मीटिंग में कहा गया था कि प्रतिनियुक्ति पर लगे डिप्टी डायरेक्टर योगेश वर्मा को निलंबित किया जा चुका है। पत्र में बताया गया कि लेखाधिकारी बिंदु भदौरिया के निलंबन के लिए भी वित्त विभाग को फाइल भेजी गई है। इसी संदर्भ में भंडारण निगम ने ए.सी.बी. को पत्र लिखकर यह भी कहा है कि, श्री शुभम लॉजिस्टिक के साथ हुए अनुबंध में कई त्रुटिपूर्ण बातें हैं, जैसे कि भंडारण निगम, इस कंपनी के साथ अपना अनुबंध खत्म भी करना चाहें तो "एडमिशन क्लॉज" (अनुबंध खत्म करने की शर्त) के अनुसार भंडारण निगम को उसे खामियां बताते हुए नोटिस देकर 6 माह में इन गलतियों को सुधारने का मौका देना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो 3 माह का अतिरिक्त समय देते हुए पुनः नोटिस देना पड़ेगा। एसीबी को भेजी गई शिकायत के साथ इस एक्टरफा "एडमिशन क्लॉज" के बारे में भी जानकारी दी गई है। हैरानी की बात है कि तत्कालीन अधिकारियों व उनके वित्तीय सलाहकारों ने श्री शुभम लॉजिस्टिक के साथ ऐसा अनुबंध करने के लिए क्यों विवश थे?

कांग्रेस शासन में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय रही : मदन राठौड़

जयपुर। केंद्र सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर शुरू की गई मिशन शक्ति योजना पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अध्यक्ष सांसद मदन राठौड़ ने महिला सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति योजना को लेकर राजस्थान राज्य का 2021 से लेकर 2023-24 तक का ब्योरा मांगा। समाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा बताया गया कि भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान राजस्थान राज्य सहित संपूर्ण देश में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अम्बेला स्त्रीम के रूप में एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति शुरू किया गया। इसके अन्तर्गत राजस्थान राज्य को पिछले तीन वर्ष 2021-22 में 123.84 करोड़, 2022-23 में 90 करोड़ और 2023-24 में 144.18 करोड़ का बजट जारी किया।